



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

1368

क्रमांक.../म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग/शुस/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/11/2018

कुलसचिव,
पीपुल्स विश्वविद्यालय,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय के पत्र क्र. PU/RB/MPPURC/REG./2018/310 दि. 11.04.18

आपके कार्यालय के पत्र क्र. PU/RB/MPPURC/REG./2018/342 दि. 25.04.18

—00—


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पीपुल्स विश्वविद्यालय की वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित शुल्क की समीक्षा आयोग द्वारा की गई थी तथा आदेश क्र 890 दि. 08.11.2017, क्र. 239 दि. 13.03.2018 एवं क्र. 585 दि. 26.06.2018 द्वारा शुल्क अनुमोदित किया गया है। मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित शुल्क को ही पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की वर्ष 2018-19 हेतु अनुमोदित किया जाता है:-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रु. लाख में)

संक्र	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क (15%)	योग
1.	BDS	3.600	2.261	0.399	2.660
2.	MDS CI	8.00	4.437	0.783	5.220
3.	BSC(N)	0.900	0.765	0.135	0.900
4.	MSC(N)	1.15	0.978	0.172	1.150
5.	DGNM	0.640	0.544	0.096	0.640
6.	PBBSC	0.60	0.468	0.082	0.550
7.	B.PHARMA	0.630	0.536	0.094	0.630
8.	M.PHARMA	1.58	1.343	0.237	1.580
9.	MPT	1.000	0.850	0.150	1.000
10.	DEGREE	0.40	0.340	0.060	0.400
11.	DIPLOMA(BPT)	0.280	0.238	0.042	0.280
12.	DIPLOMA(EMGG)	0.370	0.315	0.055	0.370
13.	M.TECH	1.00	0.850	0.150	1.000
14.	B.TECH(IBM)	1.200	0.910	0.160	1.070
15.	B.TECH	0.70	0.595	0.105	0.700
16.	BBA+HHA	0.600	0.490	0.087	0.577
17.	MHM	0.56	0.476	0.084	0.560
18.	BHM	0.600	0.479	0.084	0.563
19.	MSC MICRO Science	0.800	0.680	0.120	0.800
20.	MSC Bio chemistry	0.800	0.680	0.120	0.800
21.	MD-Non-CL	15.000	8.42	1.48	9.90

22.	MBBS	15.000	7.565	1.335	8.900
आयोग के पत्र क्र. 1250/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/शुस/2018 दिनांक 25.11.2018 के अनुसार 30000/- के अतिरिक्त शुल्क की अनुमति प्रदान की गई।					
23.	MD CL	21.00	9.138	1.613	10.750
24.	BBA	0.300	0.255	0.045	0.300
25.	BCOM	0.18	0.153	0.027	0.180
26.	MBA	0.70	0.595	0.105	0.700

- उपरोक्त शुल्क के पाठ्यक्रम के संचालन से संबन्धित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- कुल अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क 15% का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
- आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई स्पष्ट करनी होगी, यदि लागतें कम हुईं तो अधिक वसुली गई फीस छात्रों को वापस करना होगी।
(मा.अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)


 सचिव,
 म.प्र. नि.वि.वि. आयोग,
 भोपाल